



श्रम और रोजगार मंत्रालय

# ईपीएफओ ने यूएन को ऑनलाईन से आधार जोड़ने की नई सुविधा दी

Posted On: 18 OCT 2017 5:55PM by PIB Delhi

दीपावली की पूर्व संध्या पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएन) वाले सदस्यों को ऑनलाईन यूएन को आधार से जोड़ने की सुविधा प्रारंभ की है। इससे सदस्यों को बेहतर और तेज ईपीएफओ सेवाएं मिलेगी।

यह सुविधा ईपीएफओ की वेबसाइट [www.epfindia.gov.in](http://www.epfindia.gov.in) >> Online Services >> e-KYC Portal>> LINK UAN AADHAAR पर उपलब्ध कराई गई है।

इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए ईपीएफओ सदस्य अपने यूएन को आधार से ऑनलाईन जोड़ सकते हैं। इसके लिए सदस्य को अपना यूएन प्रदान करना होगा। यूएन के साथ जुड़े सदस्य के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन के बाद सदस्य को अपना आधार नंबर देना होगा। इसके बाद एक और ओटीपी आधार से जुड़े मोबाइल/ई-मेल पर भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन के बाद यूएन के ब्योरो को आधार विवरण से मिलाया जाएगा है। इसके बाद यूएन को आधार से जोड़ा जाएगा। आधार से जुड़ जाने के बाद सदस्य आधार से जुड़ी ऑनलाईन ईपीएफओ सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

\*\*\*

वीके/एजी/डीके - 5114

(Release ID: 1506499) Visitor Counter : 15

